

DR.T.K. VISWANATHAN

Dr.T.K.Viswanathan is a legal luminary who has held various positions in the academicia Government of India and in Lok Sabha. During his four decades of his career he has served as a lawyer, as a Professor of law and as Secretary to Government of India in the Ministry of Law & Justice and as Secretary General of Lok Sabha. He has drafted many important land mark legislations over the past two decades and the Government has immensely benefitted from his expertise in legislative drafting and in parliamentary and constitutional matters. The Information Technology Act 2000 which laid the basis for cyber law in India, the Competition Act 2002 and the Right to Information Act 2005 are three important landmark legislations worth mentioning which have laid the foundation for a new jurisprudence in the Indian legal framework. As the Chairman of the Bankruptcy Laws Reforms Committee 2014, he was responsible for drafting of the Insolvency and Bankruptcy Code 2016 which is the most important economic reform next only to GST since independence.

2. Born on October 14, 1948 Dr.Viswanathan received his B.Sc, B.L and M.L Degrees from the University of Madras, Ph.D (Indian Law Institute, Deemed University, New Delhi) and D.Litt (University of Mysore). Enrolled as Advocate at the Bar Council of Tamil Nadu (Nov 1972) practiced as Advocate with Uttama Reddy & Co (1972-76) in Corporate and Tax laws. He was a Professor at Madras Law College (1976-1988). He joined Ministry of Law, Justice as legislative counsel in 1988; he was promoted as Secretary in the Ministry of Law & Justice and was posted as Member-Secretary of the Law Commission (2000-2003) and as Secretary, Legislative Department (Oct. 2003 - Mar. 2006) and as Union Law Secretary (Apr.2006 — Oct. 2009) held concurrent charge of two Departments Department of Legal Affairs & Legislative Department between August 2008 till Oct 2009; also was the Advisor in the Ministry of Law & Justice (Nov. 2009 - Sep. 2010); Secretary General Lok Sabha (Oct 2010- Sept 2013); Member of the Committee to Frame Guidelines on Government Advertising. Campaigns constituted by the Supreme Court.

Dr.Viswanathan has expertise in legislative drafting and has undergone training in legislative drafting at the Institute of Advanced Legal Studies at the University of London.1992; as Law Secretary he led the Indian delegation to UNCITRAL between 2006-2010. As Secretary General he was a member of the Parliamentary delegations accompanying the Speaker to Inter Parliamentary Union meetings and has visited Parliaments across the world.

Dr.Viswanathan is a teacher member of the Indian Law Institute and has contributed many articles to legal journals and periodicals and has authored (i) Legislative Drafting - Shaping the Law for the New Millennium; and (ii) Handbook on Arbitration, Mediation and other ADR Techniques; Currently Editor of ICADR News Letter covering latest developments in the international commercial and investment arbitration.

Dr.Viswanathan is presently Consultant to the President of India and the Director (ADR) in the International Centre for Alternative Dispute Resolution; Chairman of the Expert Committee to review the Cyber laws and the Information Technology Act 2000; and Member Independent Review Authority constituted under section 45(2) of the Unlawful Activities (Prevention) Act 1967.



डॉ. टी. के. विश्वनाथन

डॉ. टी.के. विश्वनाथन, कानून के क्षेत्र में ऐसे प्रकाण्ड विद्वान व्यक्ति हैं जो विद्धत-परिषद, भारत सरकार और लोकसभा में विभिन्न पदों पर आसीन रहे हैं। अपने जीवन के चार दशकों के दौरान, आपने एक अधिवक्ता, विधि के प्रोफेसर और विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव और लोकसभा के महासचिव के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। विगत दो दशकों में आपने अनेक महत्वपूर्ण एवं बेमिसाल विधानों के मसौदे तैयार किए हैं और सरकार को संसदीय और संवैधानिक मामलों में विधान तैयार करने में आपकी विशेषज्ञता का अत्यधिक लाभ मिला है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 जो भारत में साइबर कानून का आधार है, प्रतियोगिता अधिनियम, 2002 और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 ऐसे तीन महत्वपूर्ण और बेमिसाल उल्लेखनीय विधान है जिन्होंने भारतीय विधिक ढांचे में एक नए विधि शास्त्र की आधार शिला रखी है। दिवालियापन विधि सुधार समिति 2014 के अध्यक्ष के रूप में, आपने शोधाक्षम एवं दिवालियापन संहिता, 2016 के प्रारूपण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो स्वतंत्रता के समय से अब तक जीएसटी के बाद अगला महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार है।

2. आपका जन्म 14 अक्तूबर, 1948 में हुआ था और आपने मद्रास विश्व विद्यालय से अपनी बी.एस.सी, बी.एल. एवं एम.एल. की डिग्रियां तथा पी एच डी (भारतीय विधि संस्थान डीम्ड यूनिवसिटी, नई दिल्ली) एवं डी.लिट (मैसूर विश्वविद्यालय) से प्राप्त की हैं। बार काउंसिल तमिलनाडु में अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत होकर आपने कारपोरेट और कराधान कानून के क्षेत्र में उत्तम रेड्डी एण्ड कंपनी (1972-76) में अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस शुरू की। आप मद्रास विधि महाविद्यालय में प्रोफेसर रहे हैं (1976-1988)। आपने विधिक काउंसिल के रूप में वर्ष 1988 में विधि एवं न्याय मंत्रालय का कार्यभार संभाला जहां आपको विधि एवं न्याय मंत्रालय में सचिव के रूप में पदोन्नति दी गई और तत्पश्चात, आपको विधि आयोग के सदस्य के रूप में तैनाती दी गई (2000-2003) और आपने विधायी विभाग के सचिव (अक्तूबर 2003, मार्च 2006) और केन्द्रीय विधि सचिव (अप्रैल, 2006 – अक्तूबर, 2009) के रूप में उत्तरदायित्व निभाया। आपने अगस्त, 2008 से अक्तूबर, 2009 तक विधिक कार्य विभाग और विधायी विभाग के दोनों विभागों का साथ-साथ कार्य संभाला। आप विधि एवं न्याय मंत्रालय में सलाहकार (नवम्बर, 2009–सितंबर, 2010 तक); महासचिव लोकसभा (अक्तूबर 2010 – सितंबर, 2013 तक), और उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सरकारी विज्ञापन संबंधी दिशानिर्देशों की संरचना समिति के सदस्य भी रहे हैं।

3. आप विधायन का मसौदा तैयार करने में सिद्धहस्त हैं और आपने 1992 में लंदन विश्वविद्यालय स्थित इन्स्टीटयूट आफ एडवांस्ड लीगल स्टडीज में विधायन निरूपण में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। आपने वर्ष 2006 से 2010 के बीच यूएनसीआईटीआरएएल में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का विधि सचिव के रूप में नेतृत्व भी किया। महासचिव के रूप में, आप संसदीय शिष्टमंडल के सदस्य भी रहे और इस दौरान अंतर संसदीय केन्द्रीय बैठकों में लोकसभा अध्यक्ष के साथ रहकर आपने संपूर्ण विश्व की संसदों का दौरा भी किया है।

4. आप भारतीय विधि संस्थान के शिक्षक सदस्य हैं और इस दौरान, आपने विधिक पत्र-पत्रिकाओं में अनेक लेख भी लिखे हैं और आप (i) लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग – शेपिंग दि लॉ फॉर दि न्यू मिलैनियम; और (ii) हैण्डबुक आन अरबिट्रेशन, मेडिटेशन एण्ड अदर ए डी आर टेक्नीक्स के लेखक भी हैं। वर्तमान में, आप आईसीएडीआर न्यूज लेटर के संपादक हैं जिसमें अंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक एवं निवेश विवाचन के क्षेत्र में अद्यतन विकासों का समावेश किया गया है।

5. आप वर्तमान समय में, भारत के राष्ट्रपति के परामर्शदाता के रूप में कार्य कर रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय विवाद समाधान केन्द्र में निदेशक (एडीआर); साइबर कानून एवं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 समीक्षा संबंधी विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष, और विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 45 (2) के तहत गठित स्वतंत्र समीक्षा प्राधिकरण के सदस्य के पदों को भी संभाल रहे हैं।